an>

Title: Regarding safety of 'Samadhi' of saint Adwaityanand located in Pakistan.

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदया, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विÂषय आपके सामने उठाना चाहता हूं और देश के सभी प्रबुद्ध जनों, सदन के माननीय सदस्यों एवं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

महोदया, लगभग 170 वÂर्ष पूर्व एक महान सन्त का अवतार छपरा जिले के दहियांवा में हुआ। पूरे देश का भ्रमण करते हुए, वे पाकिस्तान के टेरी नामक गांव में पहुंचे। यह जगह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रान्त के कारक जिले में टेरी गांव में है। वहां हिन्दू और मुस्लिम, दोनों धर्मों के लोग उनके अनुयायी बन गए। दोनों धर्मों के लोग हृदय से उनका सम्मान करते एवं सेवा करते थे। वर्ष 1919 में उनका देहावसान हो गया और उसी स्थान पर, टेरी गांव में ही उनके समाधिस्थल और एक मंदिर का निर्माण हुआ। वर्ष 1997 तक वह मंदिर एवं समाधि स्थल बरकरार रहा, लेकिन वर्ष 1997 में वहां के एक व्यक्ति द्वारा उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया, समाधि स्थल पर पूजा-पाठ रोक दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान हिन्दू काउंसिल के संरक्षक और पीएमएल(एन) के थारपारकर क्षेत्र से सांसद रमेश कुमार बंकवानी द्वारा उस मंदिर एवं समाधिस्थल के निर्माण के लिए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में अपील की गयी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, आदेश दिया कि वहां पुनः मंदिर का निर्माण कराया जाए और उस धार्मिक स्थल पर जो पूजा-पाठ होता था, उसकी पूरी व्यवस्था पहले की तरह बहाल की जाए। लेकिन अभी तक वह काम नहीं हुआ है। वहां के मुख्य न्यायाधीश ने भी सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को बहाल करते हुए, सरकार को पुनः उसके लिए आदेश दिया। अभी तक वह काम नहीं हुआ है।...(व्यवधान)

मैडम, मैंने पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी, रक्षामंत्री जी एवं विदेशमंत्री जी से पत्र लिखकर आग्रह किया है कि उस महान सन्त की समाधि को बहाल किया जाए, उस मंदिर में पुनः पूजा-पाठ शुरू की जाए। उनके लाखों अनुयायी हैं।...(व्यवधान) वहां दस हजार से अधिक उनके भक्त हैं। इसलिए इस समाधिस्थल एवं मंदिर में पूजा-पाठ को बहाल किया जाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री शरद त्रिपाठी, श्री राजेन्द्र अग्रवाल एवं श्री अश्विनी कुमार चौबे को श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।